

## डी-रज़िर्वेशन करने से संबंधित UGC का मसौदा दशा-नरिदेश

### प्रलमिस के लयि:

[वशिववदियालय अनुदान आयोग \(UGC\)](#), [अनुसूचति जातल \(SC\)](#), [अनुसूचति जनजातल \(ST\)](#), [आरकषण](#)

### मेन्स के लयि:

सरकारी नीतयिँ और हसतकषेप, अनुसूचति जातल तथा अनुसूचति जनजातल से संबंघतल मुददे, आरकषण

[स्रोत: इंडयिन एक्सप्रेस](#)

## चरचा में कयों?

उचच शकषण संसथानों में [आरकषण](#) लागू करने हेतु [वशिववदियालय अनुदान आयोग \(University Grants Commission- UGC\)](#) के मसौदा दशा-नरिदेश महत्त्वपूर्ण चरचा का वषय बन गए हैं जसका मुख्य कारण कुछ [वशेष मामलों](#) में रकतयिँ को 'अनारकषतल' करने का प्रस्ताव है ।

- केंद्र सरकार तथा UGC ने स्पष्ट कयल है कल वशिववदियालयों के संकाय पदों हेतु [अनुसूचति जातल \(SC\)](#), [अनुसूचति जनजातल \(ST\)](#), [अनय पछिड़ा वर्ग \(OBC\)](#) तथा [आरथकल रूप से कमज़ोर वर्ग \(EWS\)](#) उम्मीदवारों के आरकषतल पदों पर सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों की भरती नहीं की जाएगी ।

### नोट:

- डी-रज़िर्वेशन का तात्पर्य अनुसूचतल जातल, अनुसूचतल जनजातल, OBC तथा EWS जैसी वशषिट श्रेणयिँ को आवंटतल आरकषतल सीटों अथवा कोटा को संभावतल रूप से समाप्त करने से है ।

## UGC मसौदा दशा-नरिदेशों में कयल शामिल है?

- UGC ने वर्ष 2006 के दशा-नरिदेशों के बाद से कयल गए परविरतनों तथा नए सरकारी नरिदेशों पर वचलार करते हुए उचच शकषण संसथानों में आरकषण लागू करने के लयल नए मसौदा दशा-नरिदेश तैयार करने के लयल एक समतल को कार्य सौपा जसकी अधयकषता लोक प्रशासन संसथान के नदलशक [डॉ. एच.एस राणा](#) द्वारा की गई ।
  - इसका उददेश्य संबंघतल मौजूदा नयलों को स्पष्ट करना तथा न्यायालय के नरिणयों के आधार पर [कार्मकल एवं प्रशकषण वभलग \(Department of Personnel and Training- DoPT\)](#) द्वारा जारी परपलत्रों के अपडेट को शामिल करना था ।
- मसौदे में संकाय पदों में कोटा, आरकषण रोस्टर तैयार करना, डी-रज़िर्वेशन, आरकषण हेतु जातल के दावों का सतयापन तथा संसथानों में छात्रों के प्रवेश में आरकषण जैसे पहलुओं को शामिल करने वाले वभलनन अध्याय शामिल हैं ।
- रकतयिँ को अनारकषतल करने का मुददा बहस का प्रमुख कारक है कयोंकल यह आरकषतल संकाय पदों को संबंघतल वशिववदियालय से परयाप्त औचतयल के माध्यम से "वशेष मामलों" में अनारकषतल करने का प्रवाधान करता है ।
  - दशा-नरिदेशों में कहा गया है कल SC/ST या OBC उम्मीदवारों के लयल आरकषतल स्थान को अनारकषतल घोषतल कयल जा सकता है यदल इन श्रेणयिँ के परयाप्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हैं ।
  - ग्रुप A और ग्रुप B स्तर की नौकरयिँ के आरकषण को रदद करने का प्रस्ताव [शकषा मंत्रालय](#) को प्रस्तुत कयल जाना चाहयल, जबकल ग्रुप C तथा D स्तर के पदों के लयल वशिववदियालय की कार्यकारी परषलद से अनुमोदन की आवशयकता होती है ।

## आरकषण की समाप्तल पर हंगामा कयों हुआ?

#### ■ वरिष्ठ का कारण:

- मसौदा दिशा-निर्देशों के अनुसार संकाय नौकरियों में गैर-आरक्षण का मार्ग खोलने की बात कही गई, जिससे सार्वजनिक रूप से विवादित स्थिति उत्पन्न हो गयी। यह वर्तमान शैक्षणिक मानकों के विपरीत है, जो निर्धारित करता है कि आरक्षण संकाय पदों को सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिये परिवर्तित नहीं किया जाता है।
  - विवाद तब पैदा हुआ जब इस प्रावधान ने गुरुप A के पदों को बढ़ाकर गुरुप B, C और D को भी इसमें शामिल कर दिया।
- शिक्षा मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर सीधी भरती में SC, ST और OBC के लिये आरक्षण रक्तियों के आरक्षण पर प्रतिबंध लगा रखा है।
  - ऐतिहासिक रूप से अधूरे कोटा पदों को पारंपरिक रूप से फरि से वजिजापति किया जाता है और उपयुक्त उम्मीदवारों की पहचान होने तक विशेष भरती अभियान चलाए जाते हैं।
- इसे आरक्षण के संवैधानिक आदेश के उल्लंघन और उच्च शिक्षा में शांति पर रहने वाले समुदायों के प्रतिनिधित्व तथा सशक्तीकरण के लिये खतरे के रूप में देखा गया।

#### ■ UGC और सरकार की प्रतिक्रिया:

- सार्वजनिक विवाद की स्थिति के विरुद्ध, शिक्षा मंत्रालय और यूजीसी ने तुरंत स्पष्टीकरण जारी किया, जिसमें बल दिया गया कि आरक्षण को रद्द करने की अनुमति देने वाला कोई नया निर्देश नहीं है।
  - मंत्रालय के अनुसार केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान (Central Educational Institutions- CEI) अधिनियम, 2019, आरक्षण पदों के आरक्षण पर रोक लगाता है और सभी रक्तियों 2019 अधिनियम के अनुसार भरी जानी चाहिये।
- UGC अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि दिशा-निर्देश केवल मसौदा रूप में थे, उन्होंने आश्वासन दिया कि आरक्षण से संबंधित कोई भी प्रावधान अंतिम दस्तावेज़ का हिस्सा नहीं होगा।

## वशिवदियालय अनुदान आयोग क्या है?

- 28 दिसंबर, 1953 को तत्कालीन शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने औपचारिक तौर पर वशिवदियालय अनुदान आयोग की नींव रखी थी। वशिवदियालय अनुदान आयोग, वशिवदियालय शिक्षा के मापदंडों के समन्वय, निर्धारण और अनुरक्षण हेतु वर्ष 1956 में संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित एक स्वायत्त संगठन है।
- वशिवदियालय अनुदान आयोग (UGC) शिक्षा मंत्रालय के तहत काम करता है, केंद्र सरकार UGC में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और दस अन्य सदस्यों की नियुक्ति करती है।
  - अध्यक्ष ऐसे लोगों में से चुना जाता है जो केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार के अधिकारी नहीं होते हैं।
- पात्र वशिवदियालयों और कॉलेजों को अनुदान प्रदान करने के अलावा आयोग केंद्र तथा राज्य सरकारों को उच्च शिक्षा के विकास के लिये आवश्यक उपायों पर सलाह भी देता है।
- यह बंगलूरु, भोपाल, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता और पुणे में स्थिति अपने 6 क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ-साथ नई दिल्ली स्थिति मुख्यालय से कार्य करता है।
- यह फरजी वशिवदियालयों, स्वायत्त महाविद्यालयों, डीमड वशिवदियालय और दूरस्थ शिक्षा संस्थानों की मान्यता को भी नियंत्रित करता है।

## आरक्षण को नियंत्रित करने वाले संवैधानिक प्रावधान

- भारतीय संविधान में आरक्षण के लिये कई प्रावधान हैं। संविधान का भाग XVI केंद्र और राज्य विधायिका में SC एवं ST के आरक्षण से संबंधित है।
- संविधान के अनुच्छेद 15(4) और 16(4) ने राज्य तथा केंद्र सरकारों को SC एवं ST समुदाय के सदस्यों के लिये सरकारी सेवाओं में सीटें आरक्षणित करने में सक्षम बनाया है।
  - संविधान (77वाँ संशोधन) अधिनियम, 1995 द्वारा संविधान में संशोधन कर अनुच्छेद 16 में एक नया खंड (4A) शामिल किया गया जिससे सरकार पदोन्नति के मामले में आरक्षण प्रदान करने में सक्षम हुई है।
  - इसके बाद आरक्षण के माध्यम से पदोन्नत SC एवं ST उम्मीदवारों को परिणामी वरिष्ठता प्रदान करने के लिये संविधान (85वाँ संशोधन) अधिनियम 2001 द्वारा अनुच्छेद 16(4A) में संशोधन किया गया।
- अनुच्छेद 16(4B) राज्य को 50% आरक्षण सीमा को दरकिनार करते हुए अगले वर्ष में SC/ST की अधूरी रक्तियों को भरने की अनुमति देता है।
- अनुच्छेद 330 और 332 संसद तथा राज्य विधानसभाओं में SC एवं ST के लिये सीटों के आरक्षण के माध्यम से वशिष्ट प्रतिनिधित्व का अवसर प्रदान करते हैं।
- पंचायतों और नगर पालिकाओं में भी अनुच्छेद 243D तथा 243T के तहत आरक्षण प्रावधान हैं।

## UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

???:

प्रश्न. क्या राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) धार्मिक अल्पसंख्यक संस्थानों में अनुसूचित जातियों के लिये संवैधानिक आरक्षण के क्रियान्वयन का प्रवर्तन करा सकता है? परीक्षण कीजिये। (2018)

